न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 78/2017 **दायरा दिनांक : 27.06.2017**

उनवान

1— रामकिशन पुत्र घीसा, जाति लोधा, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— किशनलाल पुत्र धूलीलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— श्याम पुत्र श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— कंचन बाई पत्नी श्रीलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— भगवान सिंह आत्मज श्री रामप्रसाद, जाति लोधा, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— कृष्ण मुरारी आत्मज श्री रामप्रसाद, जाति लोधा, निवासी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— पाना बाई पत्नी मांगी लाल, जाति लोधा, निवासी आंवलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— मांगी लाल आत्मज श्री आशाराम, जाति लोधा, निवासी आवंलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

4/1— जमना लाल आत्मज मांगी लाल, जाति लोधा, निवासी आवंलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4/2— हीरालाल आत्मज मांगी लाल, जाति लोधा, निवासी आवंलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4/3— बादाम बाई पुत्री मांगी लाल, जाति लोधा, निवासी आवंलहेड़ा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.08.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 62/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 3 व 4 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि आराजी ग्राम गुराडी, तहसील मनोहरथाना की नई खतौनी संख्या 128 पुरानी 124 की खसरा नम्बर 193 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 240 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 248 रकबा 5 बिस्वा कुल 4 किता की 6 बीघा 7 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 5 व 6 के शामलाती खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 240 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से 3–4 वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया है, जो बहैसियत अतिक्रमी है । प्रतिवादीगण इस आराजी के खातेदार भी नहीं है । वादी नम्बर 1 मांगीलाल का 21/127, वादी नम्बर 2 पाना बाई का 42/127 तथा प्रतिवादी नम्बर 5 भगवान सिंह व प्रतिवादी नम्बर 6 कृष्ण मुरारी का 64/127 शामिल खाते की आराजी है तथा शामलाती खाते में आराजी रहने से आये दिन लडाई झगडा होता रहता है । अतः वादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी को पृथक खाते दर्ज करना चाहते हैं, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना लोक अदालत में केवल मात्र पाना बाई एवं भगवान सिंह की मौजूदगी में एक तरफा निर्णय पारित किया है। पक्षकारान के आपस में कई मुकदमें अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार थे। उपरोक्त समस्त मुकदमें प्रकरण संख्या 146/दावा/2006 रामप्रसाद बनाम धूल्या आदि, प्रकरण संख्या 70/दावा/2006 रामकिशन बनाम मांगीलाल, प्रकरण संख्या 69/दावा/2006, श्रीलाल बनाम मांगीलाल प्रकरण संख्या 60/दावा/2006 एवं प्रकरण संख्या

71/दावा/2006 रामप्रसाद बनाम मांगीलाल को कमली बाई बनाम घीसी बाई आदि मुकदमों में शामिल कर दिया गया, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा पूर्व के दावों में पक्षकार होते हुए भी उन तथ्यों को छिपाते हुए अन्य वाद अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में लाये बिना प्रकरण संख्या 62/दावा/2014 अपीलांट के विरूद्ध धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस की इत्तला हुए बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दिया, जो निरस्त होने योग्य है । प्रकरण की वास्तविकता इस प्रकार है कि प्रभू लाल पुत्र गेंदा, जाति लोधा, निवासी गुराडी से उसके खाते एवं कब्जे की खसरा नम्बर 240 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा आराजी में से आधी उत्तर की 1 बीघा 17 बिस्वा आराजी को रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 31.05.1980 को 6000/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं इसी प्रकार से प्रभू पुत्र गेन्दा निवासी गुराडी से उसके खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 240 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा में से आधी उत्तर की एवं आधी पश्चिम की आराजी 1 बीघा 12 बिस्वा को दिनांक 31.05.1980 को 6000/– रूपये में खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया । तब से ही उक्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त में निरन्तर व निर्विरोध चली आ रही है और वर्तमान में भी अपीलांट के कब्जे काश्त में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 15.06.2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । अपीलांट कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं । प्रारम्भिक डिक्री हमारी गैर मौजूदगी में पारित की गई है, जो प्राकृतिक निर्णय के खिलाफ है । वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित अन्य मुकदमें भी चल रहे हैं जिसे छिपाकर रेस्पोडेंट द्वारा यह दावा पेश किया गया है, जो गलत है । प्रभू लाल पुत्र गेंदा, जाति लोधा, निवासी गुराडी ने खसरा नम्बर 240 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा आराजी को रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 31.05.1980 को 6000/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं इसी प्रकार से प्रभू पुत्र गेन्दा निवासी गुराडी ने खसरा नम्बर 240 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा को दिनांक 31.05.1980 को 6000/– रूपये में खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत में अपीलांटगण उपस्थित नहीं थे और न ही कोई सहमति बनी थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ

न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में R.R.T. 2003 (1) पेज 647 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.06.2014 से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को दिनांक 14.08.2014 की तारीख पेशी पर हाजिर होने बाबत वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये हैं परन्तु दिनांक 14.08.2014 की तारीख पेशी आने से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 09.08.2014 को तलब कर दिनांक 13.05.2015 तारीख पेशी नियत कर दी गई एवं प्रकरण दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प आवलहेडा में रखकर पक्षकारान की सहमति बिना प्रकरण का निस्तारण करना जाहिर होता है । आदेशिका दिनांक 15.06.2017 पर पाना बाई व भगवान सिंह के हस्ताक्षर हैं । समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा